12432

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE
(ORDERS BY THE ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE/HQ-IV.: DELHI)

NOTIFICATION

Dated 10/11/2026.

No. 79212 /CB-V/PHQ: **ADMISSION OF NAME TO PROMOTION LIST (MINISTERIAL CADRE):-** The name of HC (Min.) Vibhor Tomar, No. 43/RD (now 04/PCR) (PIS No. 27080019) (UR) is admitted to Promotion List (Ministerial Cadre) w.e.f. 09.06.2021, for the post of ASI (Min.) in terms of Rule-15 (iii) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) (Amendment) Rules, 2015 .

His name will stand at Sl. No. 58(A) in between the names of HCs (Min.) Sushila Kumari, No. 11/RD (PIS No. 27080061) and Sumit Kumar, No. 13/OD (PIS No. 27080020) in the Promotion List (Ministerial Cadre) issued vide this Headquarters Notification No. 30833/CB-V/PHQ dated 15.06.2021.

No. 79213 /CB-V/PHQ: **PROMOTION:-** HC (Min.) Vibhor Tomar, No. 43/RD (now 04/PCR) (PIS No. 27080019) (UR), whose name stands on Promotion List (Ministerial Cadre) for the post of ASI (Min.) w.e.f. 09.06.2021, is hereby promoted to the rank of officiating ASI (Min.) w.e.f. 09.06.2021.

C.G. No. P- 10 1126-143- 0003

However, he is granted notional promotion in the rank of ASI (Min.) upto the date preceding of issuance of this notification. During the period of notional promotion, he will not be entitled to draw pay and allowances of the post of ASI (Min.) but this period will otherwise count towards fixation of his pay, increments and seniority etc.

No. 79214. /CB-V/PHQ:- **DECLARATION OF PROBATION PERIOD**:- ASI (Min.) Vibhor Tomar, No. 43/RD (now 04/PCR) (PIS No. 27080019) is hereby declared to have successfully completed the period of probation w.e.f. 09.06.2023, as per Rule-18 (iii) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) (Amendment) Rules, 1989. Accordingly, he is allotted Range No. "762-D".

C.G. No. P- 10 1126-143- 0003

This notification would also be subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DOPT's O.M. No.36012/16/2019-Estt. (Res.), dated 12.04.2022.

(ARUN K. SHARMA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS-IV: DELHI

No. 79215-222 /CB-V (PHQ) dated Delhi the 10/11/2026.

Copy for information & n/action to the: -

1. DCP/PCR, Delhi w.r.t. his office memo. No. 8897/CR-III/PCR, dated 27.07.2026 for information & necessary action. He may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR-22 (I)(a)(I) and GOI's order No.17 below FR-22 as per PHQ's endst. No. 14048-99/CR-II/PHQ dated 28.08.2008.
2. DCsP/ IT (PHQ) & P&L, Delhi.
3. Inspr./Estt. Branch/PHQ with one spare copy for publication in D.P.G.
4. AC - 'R', Computer & Transfer-Posting Cell/CB/PHQ.
5. AC-VIII/CB with one (01) spare copy for placing the same in his Personal File.

कार्यालय पुलिस आयुक्त : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. 011-23746100, एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन हेतु
(अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV, दिल्ली के आदेशानुसार)

अधिसूचना

दिनांक 10/11/2026

सं. 79212 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: पदोन्नति सूची (लिपिकीय संवर्ग) में नाम सम्मिलित किया जाना : प्रधान सिपाही (लिपिकीय) विभोर तोमर, बेल्ट संख्या 43/RD (वर्तमान में 04/PCR) (पीआईएस संख्या 27080019) (अनारक्षित) का नाम दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) (संशोधन) नियम, 2015 के नियम-15 (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद हेतु दिनांक **09.06.2021** से पदोन्नति सूची (लिपिकीय संवर्ग) में सम्मिलित किया जाता है।

उनका नाम इस मुख्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 30833/CB-V/PHQ दिनांक 15.06.2021 के माध्यम से जारी पदोन्नति सूची (लिपिकीय संवर्ग) में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) सुशीला कुमारी, बेल्ट संख्या 11/RD (पीआईएस संख्या 27080061) तथा प्रधान सिपाही (लिपिकीय) सुमित कुमार, बेल्ट संख्या 13/OD (पीआईएस संख्या 27080020) के नामों के मध्य क्रम संख्या 58(A) पर अंकित किया गया है।

सं. 79213 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: पदोन्नति :- प्रधान सिपाही (लिपिकीय) विभोर तोमर, क्रमांक 43/RD (वर्तमान में 04/PCR) (पीआईएस संख्या 27080019) (अनारक्षित), जिनका नाम सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद हेतु दिनांक **09.06.2021** से पदोन्नति सूची (लिपिकीय संवर्ग) में सम्मिलित है, को एतद्द्वारा कार्यवाहक सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद पर दिनांक **09.06.2021** से पदोन्नत किया जाता है।

कम्प्यूटर जनित संख्या: *पी- 10 1126-143- 0003*

तथापि, उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद पर काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जाती है। काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के दौरान वे सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद का वेतन एवं भत्ते आहरित करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यह अवधि अन्यथा उनके वेतन निर्धारण, वेतनवृद्धि तथा वरिष्ठता आदि के प्रयोजनार्थ गणना में शामिल की जाएगी।

सं. 79214 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: परिवीक्षा अवधि की घोषणा : -सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) विभोर तोमर, बेल्ट संख्या 43/RD (वर्तमान में 04/PCR) (पीआईएस संख्या 27080019) को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) (संशोधन) नियम, 1989 के नियम-18 (iii) के अनुसार दिनांक 09.06.2023 से अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने वाला घोषित किया जाता है। तदनुसार, उन्हें रेंज संख्या "762-डी" आवंटित की जाती है।

कम्प्यूटर जनित संख्या: *पी- 10 1126-143- 0003*

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-स्था. (आरक्षित), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह मामलों के समूह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

(अरुण कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त:
मुख्यालय-IV: दिल्ली

सं. 79215-222 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक: 10/11/2026.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस उपायुक्त/पीसीआर, दिल्ली के कार्यालय पत्रांक 8897/CR-III/PCR, dated 27.07.2026 के संदर्भ में । पुलिस मुख्यालय की पृष्ठांकन सं. 14048-99/सीआर-II/ पुलिस मुख्यालय, दिनांक 28.08.2008 के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को नियम एफआर-22 (I)(a)(1) और एफआर-22 के तहत भारत सरकार के आदेश सं. 17 के अंतर्गत, यदि कोई हो, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने के लिए भी कहा जा सकता है।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्थापना (पुलिस मुख्यालय) को दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन के लिए एक अतिरिक्त प्रति के साथ।
4. प्रभारी - 'आर', कंप्यूटर, सीबी/ पुलिस मुख्यालय ।
5. प्रभारी - VIII को 01 अतिरिक्त प्रति के साथ उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखने के लिए ।